

न्यायालय नायब तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी

भागीरथराम

(आरटीएस)

दिनांक 25.9.17

मि.न.31/17

सरकार बनाम छाजूराम वगै०

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायल उपस्थित ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का बनेटी ने एक रिपोर्ट इस आशय कि पेश कि है कि सम्वत 2074 में वाके ग्राम बनेटी तहसील कोटपूतली के ख० न० 326 रकबा 0.66 है० किस्म जमीन बारानी 3 में से 0.66 है० पर छाजूराम पुत्र बिरजू जाति खटीक निवासी बनेटी तहसील कोटपूतली जिला जयपुर ने बाजरा कास्तकर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है ।

रिपोर्ट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर । गैर सायलान को विधिवत LR\ACT 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गये । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये गये । सुचनाप्रान्त गैर सायल उपस्थित आये । गैर सायल की तरफ से कोई जवाब पेश नहीं किया गया साथ ही गैर सायल ने अतिक्रमण करना मौखिक रूप से स्वीकार किया । अतः गैरसायल के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना उचित समझते हैं ।

अतः छाजूराम पुत्र बिरजू जाति खटीक निवासी बनेटी तहसील कोटपूतली जिला जयपुर को वाके ग्राम बनेटी तहसील कोटपूतली के ख० न० 326/0.66 है०,किस्म जमीन बारानी 3 पर अतिक्रमी घोषित करते हुये उक्त आराजियात पर कास्त बाजरे की फसल को कब्जे राज लिया जाकर भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तथा नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप में लगान राशी 2.64का पचास गुणा 132रु अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है ।

निर्णयानुसार बेदखली,पैनल्टी वसुली ,फसल निलामी हेतु भू० अ० नि० व पंठवारी हल्का को तहरीर जारी हो व माग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखा कार को लिखा जावे । निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दाखील दफतर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 25.9.17 को सरे इजलास सुनाया गया ।

बर्ष 2017 ... 018... के ...
के पृष्ठ संख्या 12... पर 132-रु
सपथे का... किये गये ।

राज... लखाकार
कोटपूतली


नायब तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)